संभावना की किरण :

ओखला में फैशन टीम के कर्मचारियों का संघर्ष

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, दिल्ली

मई 1997

गिने चुने लोग ही जानते हैं कि फैशन टीम नाम की एक वस्त्र निर्यात फैक्टरी के कर्मचारी महीने भर के अपने संघर्ष की बदौलत, मैनेजमेंट को अपनी बहाली के लिए बाध्य करने में सफल हो पाए हैं। 2 अप्रैल, 1997 को इन 191 कर्मचारियों को काम पर पहुँचने पर जबर्दस्ती फैक्टरी परिसर से बाहर कर दिया गया था। कहा गया कि फैक्टरी की सिलाई इकाई बंद कर दी गई है।

एम के सहदेवन के नाम से पंजीकृत (पंजीकरण न. 16061/एन), यह फैक्टरी 1991 में शुरू हुई थी। आज यहां लगभग 1400 कर्मचारी कार्य करते हैं। परन्तु 95 प्रतिशत कामगारों का नाम कहीं दर्ज नहीं हैं। कर्मचारियों को कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिये जाते और इन्हे प्रोविडेन्ट फन्ड, ई. एस.आई. और बोनस आदि जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलतीं। अक्सर निर्धारित आठ घंटों से ज्यादा काम लिया जाता है और इनको ओवर टाईम नहीं दिया जाता। सिलाई विभाग जैसे विभागों में लंबे-लंबे समय तक ऊंचे शोर में बैठना पड़ता है परन्तु कंपनी किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुहैय्या नहीं कराती। 1400 कर्मचारियों के लिए यहां कैंटीन की भी कोई सुविधा नहीं है।

सिलाई इकाई में मार्च 1997 के शुरू में ही गड़बड़ी शुरू हो गई थी। उस समय पूर्वांचल मजदूर ट्रेड यूनियन और दिल्ली जनरल मजदूर फ्रंट की मदद से कर्मचारियों ने नियमित किए जाने, प्रोवीडेंड फंड, इ.एस.आई., छुट्टी और ओवरटाइम जैसी सुविधाओं की मांग के लिए आवाज उठानी शुरू की थी। 4 मार्च 1997 को 116 कर्मचारियों को काम पर से निकाल दिया गया पर श्रम विभाग ने समझौता करवाकर कर्मचारियों को बहाल करवा दिया।

2 अप्रैल 1997 को जब कर्मचारी काम पर पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें परिसर के अंदर बंद कर दिया। मैनेजमेंट ने आदेश दिया कि कर्मचारी अपनी मांगे वापिस ले लें। जब कर्मचारियों ने मना किया, तो उन्हें बेरहमी से लाठियों और छड़ों से पीटा गया। कई कर्मचारी घायल हुए, दो की हालत काफी गंभीर हो गई तथा उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। एक को सिर में चोट आई। सिलाई इकाई की दो महिला कर्मचारियों में से एक के साथ मैनेजमेंट के लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने छेड़छाड़ भी की। इसी बीच मैनेजमेंट ने कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में स्टाफ पर हमला करने और तोड़-फोड़ करने की शिकायत दर्ज करवा दी। कालका जी थाने के ए. सी.पी. और ओखला थाने के अतिरिक्त थाना अध्यक्ष (एडीशनल एस.एच.ओ.) घटना स्थल पर पहुंचे। कर्मचारियों ने भी मैनेजमेंट और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, पर ओखला थाने ने कर्मचारियों की ओर से प्रथम सूचना रपट (एफ.आई.आर.) दर्ज करने से मना कर दिया। दूसरी ओर कर्मचारियों के खिलाफ उसी सुबह एक एफ.आई.आर. (222/97) दर्ज कर दी गई थी। 18 कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) के सेक्शन 147

(दंगा फसाद करने), 149 (गैरकानूनी रूप से एकत्रित होकर अपराध करने), 427 (तोड़-फोड़ करने), 323 (जानबूझ कर चोट पहुचाने) और 34 (कई लोगों द्वारा एक ही मंशा के लिए की गई कार्यवाही) के चार्ज लगाये गये। इन 18 कर्मचारियों को जिनमें एक महिला कर्मचारी भी थी, दो दिन जमानत की व्यवस्था होने तक हिरासत में रखा गया।

उसी दिन सिलाई इकाई को बंद कर दिया गया और 191 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त हुए कर्मचारी 7 अप्रैल से फैक्टरी परिसर के बाहर अनिश्चित कालीन धरना पर बैठ गये - उनकी मांग थी कि उन्हें वापिस लिया जाए और मैनेजमेंट के खिलाफ कार्यवाही हो। अगले कुछ दिनों में उन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज करवाने और मैनेजमेंट के गुंडों द्वारा लगातार उत्पीड़ित किए जाने के खिलाफ शिकायत करने की कई कोशिशें कीं। उन्होंने फैक्टरी की इस इकाई को गैरकानूनी तरीके से बंद किये जाने के खिलाफ एक शिकायत असिस्टेंट लेबर कमिश्नर (ए.एल.सी.) के दफ्तर में भी दर्ज करवाई।

3 अप्रैल को इन कर्मचारियों ने ए.एल.सी. के दफ्तर में विरोध प्रर्दशन किया और मार्च के महीने का वेतन न दिए जाने की शिकायत दर्ज करवाई। आठ दिनों बाद लेबर इंस्पेक्टर की उपस्थिति में उन्हें दिहाड़ी के हिसाब से छुट्टी के दिन और इतवार को छोड़कर बाकी दिनों का वेतन (81 रू प्रतिदिन) मिल गया। परन्तु गैरकानूनी रूप से इकाई बंद किए जाने का मामला बिना सुलझे लटका रहा क्योंकि मैनेजमेंट बार-बार ए.एल.सी. के सामने प्रस्तुत होने से मना करती रही।

मैनेजमेंट का दावा है कि कर्मचारियों को दिस्मबर के महीने में सिलाई विभाग में एक नई मशीन पर काम करने के लिए अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया था। कर्मचारियों ने ठीक से काम नहीं किया और इसलिए उस इकाई को बंद करना पड़ा। उनके हिसाब से ये बंद किया जाना गैरकानूनी नहीं था क्योंकि उन्होंने कर्मचारियों और ए.एल.सी. दोनों को एक महीने पहले 28 फरवरी को नोटिस दे दिया था।

जब पूर्वांचल मजदूर ट्रेड यूनियन और पी.यू.डी.आर. ने ए.एल.सी. से इस नोटिस के बारे में पूछताछ की तो मालूम हुआ कि ए.एल.सी. के दफ्तर के रोजाना रजिस्टर में ऐसे किसी नोटिस का कोई रिकार्ड नहीं था। ए.एल.सी. के अनुसार 28 तारीख पड़ा ये नोटिस उनके पास अप्रैल के मध्य में ही पहुँचा था और इसका मतलब यह पुरानी तारीख डालकर बाद में दिया गया था। साफ है कि इस तरह के घपले (जैसी पुरानी तारीख की चिठ्ठी स्वीकार करना) आम हैं और श्रम विभाग और मैनेजमेंट की मिलीभगत से पनपते हैं। ए.एल.सी. ने कहा कि इस तरह बिना नोटिस के इकाई का बंद किया जाना गैरकानूनी था और उन्होंने ये भी कहा कि न्यूनतम वेतन न दिये जाने के मामले की जांच भी की जायेगी।

परन्तु ऐसी जाँच बहुत कम हो पाती है क्योंकि ए.एल.सी. दफ्तर में कर्मचारियों की बेहद कमी है। अभी इस ऑफिस में 50 प्रतिशत से भी कम कर्मचारी हैं। और वैसे भी इस दफ्तर के पास बहुत ही कम शक्तियां हैं। किसी भी तरह के समस्याओं के निर्वारण के लिए कर्मचारियों की पहुंच ए.एल.सी के दफ्तर तक ही सबसे ज्यादा है परन्तु इस संस्था की सार्मथ्य और सीमाओं का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरे महीने भर में ये फैशन टीम को एक बार भी यहां पेश होने

के लिए बाध्य नहीं कर सकी। साथ ही कर्मचारी खुद श्रम न्यायलय तब तक नहीं जा सकते जब तक कि समझौता अधिकारी यह न कह दें कि समझौता नहीं हो सकता। साथ ही श्रम विभाग और श्रम न्यायलय की पूरी प्रक्रिया एकदम अप्रभावी साबित होती है क्योंकि चालान की दरें हद से ज्यादा कम हैं – न्यूनतम वेतन न दिये जाने पर चालान केवल 500 रूपये और गैरकानूनी बंदी पर चालान केवल 5000 रूपये है। हालांकि इन अपराधों के लिए 6 महीने तक कैद का भी प्रावधान है परन्तु इसके लिए आपराधिक न्यायलय में मुकदमा होना जरूरी है। इस तरह अगर मैनेजमेंट को सजा दिलवानी है तो समझौता अधिकारी से आपराधिक न्यायलय तक का लंबा और जटिल रास्ता तय करना पड़ेगा। पिछले 50 सालों में कानूनों और चालान दरों में कोई बदलाव नहीं आया है।

फैशन टीम के कर्मचारियों को न केवल इकाई के गैर-कानूनी ढंग से बंद किये जाने व अपनी बर्खासतगी के खिलाफ ही लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी – बल्कि बंदी जारी रखवाने के उद्देश्य से मैनेजमेंट और सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगातार किए गये उत्पीड़न और हमलों से भी निबटना पड़ा। पुलिस और मैनेजमेंट की मिलीभगत के कारण मैनेजमेंट कानून अपने हाथ में ले पाया है। पुलिस को अच्छी तरह से मालूम था कि सुरक्षा कर्मियों के पास इस तरह के बल प्रयोग के कोई अधिकार नहीं है और इसलिए 2.4.97 को कर्मचारियों के उपर किया गया हमला एक अपराध था। परन्तु फिर भी कर्मचारियों की एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई और पुलिस की उपस्थिति में एम.एल.सी. बनाये गये। कर्मचारियों पर झूठे आरोप लगाये गये और उन्हें हिरासत में रखा गया। दूसरी ओर मैनेजमेंट के गुंडो को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। कर्मचारियों, खासकर महिला कर्मचारियों के लिए यह भी एक ओर असुरक्षा का कारण बन गया कि पुलिस उन्हें प्रर्दशनकर्त्ताओं के रूप में पहचानने लगी थी।

पी.यू.डी.आर. द्वारा 13.4.97 को यह याद दिलाये जाने पर भी कि हर नागरिक को एफ.आई.आर. दर्ज कराने का अधिकार है और यह कि उस जगह पुलिस की कार्यवाही की जरूरत है, ओखला थाने ने कुछ नहीं किया। जांच शुरू करने से पहले ही पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि कर्मचारी ही अभियुक्त हैं। कुछ ही दिनों बाद जब 17.4.97 को एक महिला कर्मचारी यह शिकायत दर्ज करवाने थाने गई कि गुंडे लगातार उन्हें तंग कर रहे हैं तो एस.एच.ओ. बलवन्त सिंह ने इस बिना पर उसकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया कि वे 2 अप्रैल की घटना में अभियुक्त है और दूसरा कि एस.एच.ओ. मौके पर उपस्थित नहीं थे। उनके खिलाफ एक शिकायत डी.सी.पी. (दक्षिण) के पास भी दर्ज करवाई गई पर उसपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

इस कहानी में एक ओर मोड़ भी आया। जबकि श्रम विभाग ने माना था कि इकाई बंद किया जाना गैर कानूनी था – इस इकाई में फिर से काम शुरू हो गया। बलराज नाम के एक स्थानीय गुंडे और ठेकेदार ने, जिसके क्षेत्र के विधायक रामवीर विदूड़ी से भी संबंध हैं, उसी इकाई में नये कर्मचारियों से काम करवाना शुरू कर दिया। इसी बीच नगर पालिका के एक स्थानीय सभासद, शाही राम पहलवान ने कर्मचारियों की तरफ से बीच-बचाव करने की पेशकश की, ताकि उनके दावों का निपटारा जल्दी से हो जाये। कर्मचारियों के अधिकारों की फिक्र के पीछे का सच यह था कि पूर्ति विभाग का उपठेका उसके अपने गुट के एक आदमी ओम प्रकाश को मिल गया था। फैशन टीम के कर्मचारियों के संघर्ष की शीघ्र समाप्ति से इस विभाग का काम सुविधापूर्वक चल सकता

था। ओमप्रकाश और बलराज दोनों मजबूत राजनैतिक संपर्कों वाली एक सशक्त गूजर लॉबी से हैं - जिसका ओखला औधोगिक क्षेत्र की उपठेकेदारी के साथ-साथ मकानों, चुनाव और व्यपार सभी पर पूरा नियंत्रण है। फैशन टीम का मैनेजमेंट इसी लॉबी की सांठ गांठ से बंदी को हथियार बना कर, नियमित न किए जाने और पूरा भुगतान न दिये जाने के खिलाफ कर्मचारियों के प्रत्येक संघर्ष को तोड़ती रही है। स्थानीय गुंडो के डर और जिस आसानी से बर्खास्त कर्मचारियों की जगह नये कर्मचारी रखे जा सके - इन दोनों ने ही अन्ये कर्मचारियों को संघर्ष में हिस्सा लेने से हतोत्साहित किया।

मैनेजमेंट के इन शक्तिशाली दांव पेचों और बल प्रयोग का मुकाबला करते हुए भी बर्खास्त कर्मचारियों ने अन्य सभी कर्मचारियों को एकजुट कर लिया। 30 अप्रैल को दिल्ली जनवादी अधिकार मंच (डी.जे.ए.एम.) ने फैक्टरी गेट पर एक बड़ी मीटिंग रखी। इसके पश्चात् मई दिवस पर यूनियन द्वारा एक बड़ी रैली आयोजित की गई जिसमें ओखला की तीन और फैक्टरियों के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। 2 मई को एक बड़ी गेट सभा हुई और 3 मई को सुबह 5.30 बजे से पिकटिंग शुरू कर दी गई। उत्पादन लगभग ठप्प हो गया क्योंकि 1400 में से केवल 14 कर्मचारी काम पर गये। उद्दश्य था, फैक्टरी में से माल तैयार करके बाहर ले जाये जाने से रोकना। 4 मई की सुबह 8.30 बजे मैनेजमेंट ये लिखकर देने को मजबूर हो गई कि सभी बर्खास्त कर्मचारियों को शुक्रवार 10 मई से काम पर वापिस ले लिया जायेगा। यूनियन की अन्य मांगो जैसे : न्यूनतम वेतन भुगतान, नियुक्ति पत्र दिये जाने आदि पर समझौते के लिए बातचीत भी जारी है। अब ये देखना है कि किस हद तक मैनेजमेंट कर्मचारियों की मांगों और अपने वायदे को पूरा करता है।

फैशन टीम के कर्मचारियों के प्रयासों की सफलता, दृढ़ जनतांत्रिक संघर्ष की शक्ति का परिचायक है। असंख्य अन्य कर्मचारियों के लिए फैशन टीम कर्मचारियों का संघर्ष संभावना और आशा कि एक किरण है।

पी.यू.डी.आर. मांग करता है :-

1. सभी बर्खास्त कर्मचारियों की फैशन टीम में बहाली की जाये।
2. समस्त कामगारों को नियमित किया जाये।
3. नियुक्ति पत्र जारी हों और सभी सुविधायें दी जायें।
4. मैनेजमेंट, उसके गुंडों और सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हो।
5. कर्मचारियों के खिलाफ लगे सभी आरोप वापिस लिए जायें।
6. ओखला फेज 1 थाने के एस.एच.ओ. के खिलाफ कार्यवाही हो।

पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राईटस

प्रतियों के लिए : डॉ सुदेश वैद,
डी-2 स्टाफ क्वार्टस, आई.पी. कालेज,
शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली - 110054

सहयोग राशि : 1/-